UPSI010031212026

**न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।**
**उपस्थित – आशीष जैन (एच.जे.एस.)**
**( J.O.Code UP02024)**
**दाण्डिक अपील संख्या–44/2026**
**C.I.S. No. 44/2026**

**सीमा राजू जैन आयु 61 वर्ष, पत्नी राजकुमार जैन उर्फ राजू, निवासी मोहल्ला सेठगंज, कस्बा व थाना बिसवाँ, जिला सीतापुर। अपीलार्थी/प्रार्थिनी।**

**बनाम**

**राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सीतापुर। विपक्षी।**

## निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक अपील, अपीलार्थी/प्रार्थिनी की ओर से अंतर्गत धारा 374(3)द०प्र०सं०/धारा415(3)बी०एन०एस०एस०विरुद्ध दाण्डिक वाद सं०1132/2017,एन०सी०आर०सं०7/2017, अंतर्गत धारा 171(च) भा०दं०सं०,थाना रामपुर कलाँ, जिला सीतापुर, में पारित आदेश दिनॉकित 23.04.2026 द्वारा सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, जिला सीतापुर के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके अनुसार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्ता सीमा राजू जैन को अपराध अन्तर्गत धारा 171(च) भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने तथा अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में अभियुक्ता सीमा राजू जैन को एक सप्ताह के कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन **कथानक** इस प्रकार है कि वादी मुकदमा SIUT अमित शर्मा के द्वारा थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवायी गयी कि मैं SIUT अमित शर्मा मय हमराह का० विमलेश द्विवेदी के थाना हाजा से प्रस्थान कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की देखभाल में मामूर था। गश्त व चेकिंग करते हुए जब कन्दुनी चौराहे पर पहुँचा, तो देखा कि सड़क के किनारे गड़े हुए खम्भे पर सीमा राजू 149 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिसवां BJP की होर्डिंग लगी



Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.07.21 17:01:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP

पाई गई, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में सम्यक प्रभाव डाल रही है तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आरक्षी की सहायता से उक्त की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराकर समय 08.30 बजे होर्डिंग उतरवायी गयी। उक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 171(च) भा०दं०सं० का दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की याचना की गयी।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना रामपुरकलाँ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एन०सी०आर० संख्या–7/2017, अन्तर्गत धारा 171(च) भा०दं०सं० पंजीकृत की गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किए गए तथा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के उपरान्त अभियुक्ता सीमा राजू जैन के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 171(च) भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्ता को अवर न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। दिनांक 16.04.2019 को अभियुक्ता सीमा राजू जैन का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित आई तथा अपने जमानतनामे दाखिल किए। अभियुक्ता को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त कराई गईं।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्ता का बयान मुल्जिम दिनॉक 21.09.2021 को अंकित किया गया। अभियुक्ता द्वारा रंजिशन मुकदमा चलाये जाने का कथन किया है।

अवर न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू01 अमित शर्मा एवं पी0डब्लू02 के रूप में ज्ञान चन्द्र शुक्ला को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है।

अवर न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में नक्शा नजरी प्रदर्श क–1, आरोप पत्र प्रदर्श क–2, तहरीर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रलेख दाखिल नही किये गये है। अवर न्यायालय के समक्ष अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेखों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त

दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्ता सीमा राजू जैन का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने कहा कि अभियोजन कथानक गलत है। साक्षी पी०डब्लू०–1 निरीक्षक ज्ञान चन्द्र शुक्ला व पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक अमित शर्मा के बयान के विषय में कुछ नहीं जानती, मुकदमा रंजिशन चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना है व और कुछ नहीं कहना है। दिनांक 08.04.2026 को अभियुक्ता द्वारा स्वयं अवर न्यायालय में उपस्थित होकर यह प्रार्थना की गई कि अभियुक्ता को अपना सफाई साक्ष्य एक बार और पेश करने का मौका दिया जाए।उपरोक्त पत्रावली में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्ता के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किए जा चुके थे, किन्तु अभियुक्ता को न्यायहित में अवर न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान किया गया और उसे अवर न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। अभियुक्ता सीमा राजू जैन पत्नी राजकुमार जैन ने अवर न्यायालय के समक्ष बयान दिया जिसे लिखित रूप में अंकित किया गया। अभियुक्ता सीमा राजू जैन द्वारा यह कथन किया गया कि मैं विधानसभा निर्वाचन 2017 में विधानसभा बिसवां 149 में कभी उम्मीदवार नहीं थी। मैंने किसी भी विधानसभा चुनाव में कोई चुनाव नहीं लड़ा। निर्वाचन 2017 के चुनाव में कहीं भी अपना पोस्टर, पैम्फलेट या होर्डिंग नहीं लगाया व किसी पार्टी का कोई प्रचार नहीं किया। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। पुलिस ने फर्जी मुकदमा बनाया है। इसीलिए मेरे खिलाफ जो भी बयान पुलिस द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष दिए गए हैं, वे झूठे हैं। दिनांक 08.04.2026 को अभियुक्ता एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को बेलबॉन्ड दाखिल करने का अवसर दिया गया व पत्रावली अंतिम बहस के लिए नियत की गई। दिनांक 17.04.2026 को पत्रावली अंतिम बहस पर नियत थी तथा अभियुक्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं आई। अभियुक्ता का प्रार्थना पत्र अवलोकन करने के बाद स्थगन प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रतीत हो रहा था कि अभियुक्ता द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा था। इसके पश्चात अभियुक्ता द्वारा गैर–जमानती वारण्ट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व पत्रावली अंतिम बहस पर नियत की गई। दिनांक 20.04.2026 को अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे व खुले न्यायालय में बहस की।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्ता के

विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने के उपरान्त निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 23.04.2026 पारित किया गया, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्ता सीमा राजू जैन को अपराध अन्तर्गत धारा 171(च) भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने तथा अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में अभियुक्ता सीमा राजू जैन को एक सप्ताह के कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया है। उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्ता द्वारा यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

**मेरे द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना गया तथा आक्षेपित दण्डादेश दिनॉकित 23.04.2026 एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।**

**अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया** कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रूप से प्रार्थिनी/अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 19.01.2017 को 09.30 बजे एन०सी०आर० दर्ज कराकर विधानसभा बिसवाँ क्षेत्र के कंदुनी चौराहे पर बी०जे०पी० की एक कथित होर्डिंग लगी पाए जाने को विधानसभा 2017 चुनाव में असम्यक प्रभाव डालने व आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुये धारा 171(च) भा०दं०सं० की एन०सी०आर० दर्ज की गयी है लेकिन ऐसी कोई होर्डिंग न तो अवर न्यायालय में साबित कराई गई और न ही इससे संबंधित लिए गए फोटोग्राफ व वीडियो ही साबित कराए गये। इससे प्रथम दृष्टया अभियोजन कथानक न सिर्फ संदेहास्पद प्रतीत होता है, अपितु मुख्य आरोप से संबंधित केस प्रॉपर्टी (Case Property) ही नासाबित होने का तथ्य भी स्पष्ट है। यही नहीं, अभियोजन साक्षी सं०–1/विवेचक ने तो यह तक कहा है कि उसने विवेचना के दौरान कभी कोई होर्डिंग देखी तक नहीं। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

**अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क** प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दण्ड विधान की धारा 171(च) के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह धारा तब प्रभावी होती है जब भा०दं०सं० की धारा 171(ग) में वर्णित निर्वाचनों में असम्यक असर व धारा 171(घ) में वर्णित निर्वाचनों में प्रतिरूपण के तथ्य किसी भी मामले में साबित हों। लेकिन प्रस्तुत मामले में अभियोजन, दर्ज हुए एन०सी०आर० की गई विवेचना व विचारण के दौरान आए

सशपथ साक्ष्य, किसी में भी अधिनियम में वर्णित तथ्यों को साबित करने में न सिर्फ असफल रहा है, अपितु असम्यक असर व प्रतिरूपण कब, कहाँ और किसके द्वारा हुआ या हटाई गई होर्डिंग में इससे संबंधित क्या तथ्य थे, उन्हें सामने तक नहीं ला पाया है। इस कारण भी अवर न्यायालय का निष्कर्ष अविधिक होने के नाते अस्वीकार्य होने योग्य है।

**अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क** प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस दिनांक 19–01–2017 को कथित रूप से वादी द्वारा कथित होर्डिंग हटाई गई, क्या उस तारीख को सीतापुर जिले में विधानसभा चुनाव 2017 की अधिसूचना जारी हो गई थी, इसे लेकर पूरा अभियोजन साक्ष्य मौन है। जहाँ तक विधानसभा चुनाव 2017 की अधिसूचना जारी होने का प्रश्न है, यह साबित करने का भार अभियोजन पर है जिसके द्वारा इस सम्बंध ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभियोजन पत्रावली पर दाखिल नही किया गया है जिसे भी आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

**अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क** प्रस्तुत किया गया कि अवर न्यायालय में अभियोजन द्वारा सिर्फ दो साक्षी, मुकदमे के विवेचक पी०डब्लू०–1 ज्ञान चन्द्र शुक्ला व कथित वादी पी०डब्लू०–2 अमित शर्मा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें साक्षी सं०–1 विवेचक हैं और कोई भी स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं है। परंतु अवर न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ सं०–8 (जो प्रमाणित प्रतिलिपि का पृष्ठ सं०–10 है) में मा० उच्चतम न्यायालय की कुछ नजीरों को अंकित कर जो अभिमत दिया है, वह अंकित की गई नजीरों के पूर्णतः खिलाफ है क्योंकि प्रस्तुत मामला न तो "Non Examination of Investigating Officer" का है और न ही किसी "Independent witness के Non Corporation" का, इसलिए भी अवर न्यायालय का अभिमत अपोषणीय होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

**अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क** प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–118, 134 व 135 का अवर न्यायालय ने जो वर्णन कर अपना मत रखने की कोशिश की है, वह भी तथ्यों के ठीक विपरीत है। अवर न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा–6 (रेस जेस्टे का सिद्धान्त) किस आधार पर इस मामले में वर्णित किया है, वह भी पूर्णतः तथ्यों के विपरीत है क्योंकि पूरे विचारण में कहीं भी इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई भी कृत्य एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की

सुसंगति से जुड़ा है। अवर न्यायालय के समक्ष विचारण में यह तथ्य अभियोजन द्वारा न लाया जाना कि इस बात का क्या साक्ष्य है कि मतदाता को डराया या धमकाया गया या किसी और का प्रतिरूपण कर वोट डाला गया, फिर भी 171(च) का दोषी बनाया जाना विधि में वर्णित सिद्धान्तों के खिलाफ है। अवर न्यायालय के समक्ष इस बात का भी कोई साक्ष्य न होना कि कथित होर्डिंग कब, किसके द्वारा लगाई गई, या क्या यह अपीलार्थी द्वारा ही बनवाई गई थी, भी अवर न्यायालय के अभिमत के खिलाफ है। अपीलार्थी द्वारा न तो कभी विधानसभा का कोई चुनाव लड़ा गया है और न ही कथित तौर पर किसी पार्टी से टिकट की कभी माँग की गयी है। ऐसी स्थिति में जब कथित होर्डिंग अवर न्यायालय के समक्ष साबित न हुई हो, कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन के समर्थन में पेश न किया गया हो, असम्यक प्रभाव व प्रतिरूपण जैसे महत्वपूर्ण तथ्य साबित न हों, बयानों में विरोधाभास हो, अधिसूचना का आदेश साबित न हो, एन०सी०आर० साबित न हो, तहरीर साबित न हो, तब अवर न्यायालय का आदेश बगैर साक्ष्य की सम्पुष्टि के अपोषणीय व अविधिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आधार पर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 23.04.2026 को निरस्त करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

**विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)** द्वारा तर्क किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये दण्डादेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। पी0डब्लू01 उ0नि0 ज्ञान चन्द्र शुक्ला एवं पी0डब्लू02 उ0नि0 अमित शर्मा के बयान से अभियोजन कथानक युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित है। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश में कोई त्रुटि नहीं है।

**प्रस्तुत अपील में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता सीमा राजू जैन के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 171(च) भा०दं०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।**

इस सम्बंध में अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रूप से प्रार्थिनी/अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 19.01.2017 को 09.30 बजे एन०सी०आर० दर्ज कराकर विधानसभा बिसवाँ क्षेत्र के कंदुनी चौराहे पर बी०जे०पी० की एक कथित होर्डिंग लगी पाए

जाने को विधानसभा 2017 चुनाव में असम्यक प्रभाव डालने व आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुये धारा 171(च) भा०दं०सं० की एन०सी०आर० दर्ज की गयी है लेकिन ऐसी कोई होर्डिंग न तो अवर न्यायालय में साबित कराई गई और न ही इससे संबंधित लिए गए फोटोग्राफ व वीडियो ही साबित कराए गये। इससे प्रथम दृष्टया अभियोजन कथानक न सिर्फ संदेहास्पद प्रतीत होता है, अपितु मुख्य आरोप से संबंधित केस प्रॉपर्टी (Case Property) ही नासाबित होने का तथ्य भी स्पष्ट है। यही नहीं, अभियोजन साक्षी सं०–1/विवेचक ने तो यह तक कहा है कि उसने विवेचना के दौरान कभी कोई होर्डिंग देखी तक नहीं। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

उक्त अपीलीय आधार के सन्दर्भ में अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध **पी0डब्लू01 ज्ञान चन्द्र शुक्ला** के साक्ष्य के विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त साक्षी द्वारा सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2017 को मेरी नियुक्ति व तैनाती बतौर उपनिरीक्षक थाना रामपुरकलाँ, जिला सीतापुर में थी। मेरी नियुक्ति के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश व हस्व आदेश थानाध्यक्ष रामपुरकलाँ के, एन.सी.आर. संख्या–07/2017 अन्तर्गत धारा 171(च) आईपीसी, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर की विवेचना मुझ उपनिरीक्षक के सुपुर्द की गई। मुझ उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 31.01.2017 को उक्त आदेशानुसार वास्ते विवेचना एन.सी.आर. मुकदमा के समस्त कागजात एन.सी.आर. थाना कार्यालय से प्राप्त किए। विवेचना ग्रहण की गई, जिसमें दिनांक 31.01.2017 को विवेचना की कार्यवाही अमल में लाते हुए पर्चा नं० 1 रोजनामचा खास के जिल्द पेज संख्या 42, 47, 30 पर किता किया गयाय जिसमें नकल चिक, नकल रपट व कायमी एन.सी.आर.व नकल आदेश माननीय न्यायालय का अवलोकन व नकल रोजनामचा खास किया गया तथा सी.डी. संलग्न की गई। तत्पश्चात विवेचना की कार्यवाही में मसरूफ होते हुए थाना कार्यालय पर उपस्थित एफ०आई०आर० लेखक मु० कांस्टेबल बृजकिशोर रावत, थाना रामपुरकलाँ के बयान अंकित किए गए। तत्पश्चात वादी मुकदमा प्रशिक्षु उपनिरीक्षक श्री अमित शर्मा, थाना रामपुरकलाँ के बयान अंकित किए गए, जिन्होंने अपने बयान के माध्यम से स्वयं द्वारा पंजीकृत कराई गई उक्त एन.सी. आर. का समर्थन किया। तत्पश्चात वादी मुकदमा के हमराही गवाह कांस्टेबल विमलेश द्विवेदी, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर का कथन अंकित किया गया, जिन्होंने अपने बयान के माध्यम से वादी मुकदमा के बयान का समर्थन

किया। तत्पश्चात वादी मुकदमा की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा नक्शा नजरी मौके पर ही एक सफेद कागज में तैयार किया गया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं और जो शामिल पत्रावली है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। तत्पश्चात उपरोक्त कार्यवाही विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करते समय जनता के कुछ लोग मौके पर आए। **साक्ष्य के रूप में पंकज भार्गव पुत्र सोहनलाल निवासी कंदुनी, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर व रजनी उर्फ छोटू पुत्र राजकुमार निवासी कंदुनी, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर द्वारा सुनी–सुनाई बात अपने बयान के रूप में दर्ज कराई गई।** पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र दिनांक 31.01.2017 को किता करते हुए अभियुक्ता सीमा राजू जैन पत्नी राजकुमार जैन उर्फ राजू, निवासी मोहल्ला सेठगंज, कस्बा व थाना–बिसवाँ, जनपद सीतापुर के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली मूल आरोप पत्र साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी द्वारा उसे अपने हस्तलेख में बनाया जाना व उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गई, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने एन.सी.आर.–07/2017 के आधार पर विवेचना की है। जिस दिन मुझे विवेचना मिली थी, उसी दिन से विवेचना शुरू कर दी। मैंने विवेचना एक ही दिन में सम्पूर्ण कर गवाहों आदि के बयान लेते हुए व साइड प्लान बनाकर विवेचना पूर्ण की। वादी मुकदमा व हमराही तथा लेखक के बयान उसी दिन थाने पर अंकित किए गए। बाकी साक्ष्यों के बयानात मुकदमा को लेकर थाने से घटनास्थल पर लाए थे। **नक्शा नजरी के बिंदु ए पर सीमा राजू जैन के नाम की लगी होर्डिंग वादी मुकदमा के द्वारा उतारे जाने का कथन वादी मुकदमा ने मुझसे विवेचक के समक्ष किया और घटनास्थल का निरीक्षण दिखाया। जिस समय मैं घटनास्थल पर पहुँचा, उस समय बिंदु ए पर कोई भी होर्डिंग लगी हुई नहीं पाई गई, इसीलिए मैंने कथित होर्डिंग देखी भी नहीं। यह बयान मैं वादी मुकदमा के सुने अनुसार दे रहा हूँ।** शासनादेश चुनाव आयोग के आदेशानुसार हम पुलिस वालों को सार्वजनिक स्थलों पर लगे चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, पम्पलेट आदि उतारे जाने के अनुपालन में सम्बन्धित उक्त बैनर आदि हटवाए जाते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत वादी मुकदमा ने कथित बैनर उतरवाया था और एन.सी.आर. पंजीकृत कराई थी। आगे साक्षी ने कथन किया है कि **आरोप पत्र में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सभी साक्षी पुलिस विभाग के ही हैं। मैंने वादी मुकदमा से उनके बयानों के दरमियान यह नहीं पूछा**

**कि प्रश्नगत होर्डिंग उतारते समय स्वतंत्र साक्षी जनता के गवाह क्यों नहीं लिए।** आगे साक्षी ने स्वीकार किया है कि **यह कहना सही है कि मेरी सम्पूर्ण विवेचना व एन.सी.आर. रपट हम पुलिस वालों की कारगुजारी व बयानों पर ही आधारित है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि नक्शा नजरी वादी मुकदमा की निशादेही पर बनाया गया, उसमें कोई पब्लिक का गवाह नहीं है।** इस साक्षी के साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल मिलता है कि **कथित प्रकरण की विवेचना के समय विवेचक द्वारा नक्शा नजरी के बिंदु ए पर सीमा राजू जैन के नाम की लगी होर्डिंग वादी मुकदमा के द्वारा उतारे जाने का मात्र कथन किये जाने के आधार पर दर्शाया गया है जिस समय विवेचक विवेचना के दौरान घटनास्थल पर वादी मुकदमा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया, उस समय नक्शा नजरी के बिंदु ए पर कोई भी होर्डिंग लगी हुई नहीं पाई गई, इसीलिए विवेचक द्वारा कथित होर्डिंग देखी नही गयी है। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में उक्त बयान वादी मुकदमा के बताने के अनुसार देना कहा है।** इस साक्षी के साक्ष्य से कथित घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। ऐसी स्थिति में एन.सी.आर. में उल्लेखित तथ्य संदेहास्पद हो जाते है जिससे इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि प्रश्नगत प्रकरण सुनियोजित तरीके से दर्ज कराया गया हो। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा साक्षी के उक्त साक्ष्य को नजरंदाज कर निष्कर्ष दिया गया है जो कि विधिपूर्ण नही पाये जाने से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

इस कम में मेरे द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साक्षी **पी0डब्लू0–1 उ0नि0 अमित शर्मा** के बयान का अवलोकन किया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 19.01.2017 को मैं थाना रामपुरकलाँ पर ट्रेनी उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 19.01.17 को ही मैं हमराही कान्स्टेबल विमलेश द्विवेदी के साथ थाना से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में मामूर होकर गश्त चेकिंग करते हुए कन्दुनी चौराहे पर पहुँचा, तो देखा कि सड़क के किनारे खड़े हुए खम्भे पर सीमा राजू जैन 149 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बी०जे०पी० की होर्डिंग लगी पाई गई, जो विधानसभा चुनाव 2017 में सम्यक प्रभाव डाल रही है तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आरक्षी की सहायता से उक्त की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराकर 08.30 ए.एम.पर होर्डिंग उतरवाई गई। उक्त कार्य/कृत्य अन्तर्गत धारा 171(च) आईपीसी का दण्डनीय

अपराध है। उक्त सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना हाजा पर एन.सी.आर.नं0. 07/2017 दिनांक 19.01.2017 को 09.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं थाने से रवानगी लिखवाकर चला था कि नहीं, यह मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि थाने से चलते समय मैंने व मेरे हमराही ने अपने–अपने असलहे लिए थे अथवा नहीं, यह भी ध्यान नहीं है। थाने से निकलकर घटनास्थल तक पहुँचने के मध्य मैंने कहाँ–कहाँ गश्त की, मुझे ध्यान नहीं है। मैं रामपुरकलाँ की कन्दुनी पुलिस चौकी पर तैनात नहीं था। कन्दुनी चौराहा पुलिस चौकी कन्दुनी के अन्तर्गत आता है। घटनास्थल वाला क्षेत्र मुझे आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था। जिस खम्भे पर होर्डिंग लगी होना मैं बता रहा हूँ, वह खम्भा बाँस–बल्ली का था या बिजली का था, मैं नहीं बता पाऊँगा। वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी मैंने अपने हमराही के मोबाइल फोन से की थी। **उस वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की कोई भी क्लिप मैंने न तो आई.ओ. (विवेचक) को दी और न ही थाने पर दी थी। उक्त क्लिप आई.ओ. ने मुझसे माँगी नहीं थी, इसलिए मैंने आई.ओ. को न तो दी और न ही दिखाई।** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि **घटना का कोई भी पब्लिक गवाह मैंने नहीं लिया था। मैंने किसी भी पब्लिक विटनेस का नाम लेने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए हमने रिपोर्ट में गवाह का नाम डालने की जरूरत नहीं समझी। कथित होर्डिंग नई थी कि पुरानी, मैं नहीं बता सकता। खम्भे पर होर्डिंग कितनी ऊँचाई पर लगी थी, ध्यान नहीं है।** उक्त साक्षी वादी मुकदमा है जिसके विरोधाभाषी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कथित होर्डिंग की कोई वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नही करायी गयी और न ही उक्त वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की क्लिप विवेचक को दी गयी है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा साक्षी के उक्त साक्ष्य को नजरंदाज कर निष्कर्ष दिया गया है जो कि विधिपूर्ण नही पाये जाने से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दिनांक 19–01–2017 को कथित रूप से वादी द्वारा कथित होर्डिंग हटाई गई, क्या उस तारीख को सीतापुर जिले में विधानसभा चुनाव 2017 की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। इसे साबित करने का भार अभियोजन पर था किन्तु अभियोजन की ओर से कोई नोटिफिकेशन न तो अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न ही अपील के स्तर पर दाखिल किया गया है और न ही इस का कोई खण्डन साक्ष्य में किया गया है जिससे भी अभियोजन

कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उर्पयुक्त सम्बंधित साक्ष्य के सन्दर्भ में निकाले गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य सिद्ध नही हो रहा है कि अभियोजन अपना केस युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्ता सीमा राजू जैन के विरूद्व विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्ध एवं तदनुसार पारित दण्डादेश भी उचित नही है एवं निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार प्रश्नगत अपील में बल है और अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी/अभियुक्ता सीमाराजू जैन की अपील स्वीकार करते हुये विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय एवं आदेश अपास्त कर अपीलार्थी/अभियुक्ता सीमाराजू जैन को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

## आदेश

**अपीलार्थी/अभियुक्ता सीमा राजू जैन की अपील स्वीकार की जाती है। दाण्डिक वाद संख्या 1132/2017 सरकार बनाम सीमा राजू जैन अन्तर्गत एन.सी.आर. संख्या 07/2017 धारा 171(च) भा0द0सं0 थाना रामपुरकलॉ जिला सीतापुर के मामले में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवॉ, सीतापुर, द्वारा पारित निर्णय एंव दण्डादेश दिनांक 23.04.2026 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्ता को धारा 171(च) भा0द0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते है।**

**इस निर्णय व आदेश की प्रतिलिपि के साथ अवर न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब अवर न्यायालय में प्रेषित किया जाय।**

**दिनांक : 21.07.2026**

**(आशीष जैन)**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**सीतापुर।**
**J.O.Code-UP -2024**

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

**दिनांक : 21.07.2026**

**(आशीष जैन)**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**सीतापुर।**
**J.O.Code-UP -2024**

**अजीत.**